श्री रवीन्द्र कुमार, जिलाधिकारी उन्नाव की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2021 को विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1. श्री राकेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) उन्नाव।
2. श्री राकेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) उन्नाव।
3. श्री सत्यप्रिय सिंह, उपजिलाधिकारी, सदर।
4. श्री दिनेश कुमार, उपजिलाधिकारी, बांगरमऊ।
5. श्री राजेश प्रसाद, उपजिलाधिकारी पुरवा।
6. श्री प्रदीप वर्मा, उपजिलाधिकारी हसनगंज।
7. श्री राजेन्द्र कुमार, उपजिलाधिकारी सफीपुर।
8. श्री दयाशंकर, उपजिलाधिकारी, बीघापुर।
9. श्री अंकित शुक्ला, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम, उन्नाव।
10. श्री आत्मा स्वरूप श्रीवास्तव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय, उन्नाव।
11. श्री ओम प्रकाश शुक्ला, तहसीलदार सदर, उन्नाव।
12. श्री नरेन्द्र कुमार यादव, तहसीलदार पुरवा।
13. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तहसीलदार सफीपुर।
14. श्रीमती रश्मि सिंह तहसीलदार बांगरमऊ।
15. श्री चन्द्रशेखर शुक्ला, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट उन्नाव।

बैठक में विचार विमर्श व समीक्षा के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये :–

राजस्व वाद

राजस्व वादों का माह मई, 2021 में 24635 वादों के सापेक्ष 1370 वादों का निस्तारण किया गया। माह के अन्त में 1009 वाद पॉच वर्ष से अधिक पुराने लम्बित पाये गये। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादों का अभियान चलाकर शीघ्र सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जाय और पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों की संख्या शून्य की जाये। माह मई, 2021 में उपजिलाधिकारी सदर उन्नाव 07, उपजिलाधिकारी पुरवा 27, उपजिलाधिकारी सफीपुर 14, उपजिलाधिकारी हसनगंज 15, उपजिलाधिकारी बांगरमऊ द्वारा 60 वाद निस्तारित किये गये है। उप जिलाधिकारी सदर व सफीपुर को निर्देशित किया गया कि मानक के अनुसार प्रत्येक दशा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। तहसीलदार न्यायिक सफीपुर, ना0तह0 पुरवा, असोहा, हिलौली, सफीपुर, एफ0–84, मोहान, ना0तह0 औरास, अजगैन, आसीवन, ना0तह0 बीघापुर, ना0तह0 सुमेरपुर द्वारा भी लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण नहीं किया गया। निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

स्टाम्प वाद–

स्टाम्प वाद के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) द्वारा 01 वाद धनराशि 0.23 लाख व सहायक स्टाम्प आयुक्त द्वारा एक भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया है। निर्देशित किया गया कि लम्बित वादों का विशेषकर पुराने वादों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाये।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी / सहायक आयुक्त स्टाम्प)

122–बी के अन्तर्गत कार्यवाही

इस अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वादों में 2547 के सापेक्ष कुल 430 वाद निस्तारित किये गये, 2117 वाद अवशेष है। सभी तहसीलदारों के न्यायालय में काफी संख्या में वाद लम्बित है। निस्तारण की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत ध्यान देकर लम्बित वादों का निस्तारण करते हुए अभियान चलाकर बेदखली की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाये एवं स्थलीय निरीक्षण कर वाद को त्वरित निस्तारित करना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही– समस्त तहसीलदार)

राजस्व संहिता के अन्तर्गत अविवादित वरासत

राजस्व संहिता के अन्तर्गत आलोच्य माह में 367 मामले दर्ज होने योग्य पाये गये, जिनमें समस्त मामलों में वरासत दर्ज कर उद्धरण खतौनी वितरित की गयी है। निर्देशित किया गया कि लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। वरासत सम्बन्धी आदेश आर0–6 रजिस्टर पर तो दर्ज हो रहा होगा किन्तु यह भी देख लें कि आदेश आर0–6 से खतौनी पर दर्ज हो रहा है या नहीं।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार)

राजस्व संहिता के अन्तर्गत अविवादित दाखिल खारिज–

राजस्व संहिता के अन्तर्गत अविवादित दाखिल खारिज के 6337 वादो के सापेक्ष 1265 वादों का निस्तारण किया गया है तथा 54 वाद आपत्ति के कारण विवादित की श्रेणी मे आने के कारण माह के अन्त मे 5018 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है। सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि दाखिल खारिज के वादो का निस्तारण समयान्तर्गत सुनिश्चित करें, तथा अमलदरामद भी समय से करा लिया जाये। 45 दिन के बाद अविवादित वाद अवशेष नहीं रहने चाहिए।

(कार्यवाही– समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार व रा0निरीक्षक)

आवंटनः–

कृषि, आवास स्थल, कुम्हारी कला, वृक्षारोपण आवंटन का लक्ष्य पूरा है।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार)

चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब, पोखरो आदि से हटाये गये अतिक्रमण/अवैध कब्जे–

तालाब, पोखरों आदि में अतिक्रमण हटवाने के कुल 1940 मामले प्रकाश में आये है, जिनमें से 1938 अवैध कब्जे हटवा दिये गये है। अवशेष 02 अवैध कब्जों को हटवाने के साथ–साथ समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में भी किसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब, पोखरों आदि पर अवैध कब्जा न होने पाये।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार)

122 बी के नियम 115 सी के अन्तर्गत हर्जाना वसूली–

इस मद मे कुल 1077 मामलों में 1,78,82,921/– के सापेक्ष 35 मामलों में 1,09,240/– की वसूली की गयी है। वसूली हेतु 1042 मामले व धनराशि मु0 1,77,51,218/– अवशेष है। समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों व शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवशेष सभी मामलों में बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही– समस्त तहसीलदार)

वसूली–

मुख्य देय की 43.32 लाख के सापेक्ष 28.16 लाख की वसूली की गयी है। विविध देय का मासिक संग्रह गत वर्ष के मासिक संग्रह की अपेक्षा अधिक है। परन्तु प्रत्येक माह लक्ष्य की पूर्ति की जानी है, इस बाबत समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया।

प्रत्येक आर0सी0/अमीनवार उपजिलाधिकारी स्वयं समीक्षा करें। आर0सी0 का मिलान अवश्य कराया जाये। समस्त उपजिलाधिकारी एक लाख से बड़े बाकीदारों की फाइल तैयार करा लें। टॉप–10 फाइलें अद्यावधिक रखी जायें। तहसील जाने पर टॉप–10 फाइलें अवश्यक देखी जायेगी।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/सी0आर0ए0)

जालसाली प्रकरण –

निर्देशित किया गया कि समस्त उपजिलाधिकारी अपनी तहसील क्षेत्रान्तर्गत जांच कराये तथा जाल–साजी के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी)

आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण–

आई0जी0आर0एस0 के पोर्टल को प्रतिदिन खोलकर देखते रहे, शिकायतें मार्क करने में विलम्ब न किया जाये। लम्बित शिकायतों को समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करे किसी भी स्थिति में निर्धारित समयावधि के उपरान्त शिकायते लम्बित नही रहनी चाहिए। शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता सन्तोषजनक नहीं है। शिकायत व उसपर आख्या का सम्यक परिशीलन करके उसपर पूर्णतया सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही आख्या को अनुमोदित किया जाये। लम्बित प्रकरणों मे तत्काल ससमय निस्तारण हेतु सम्बन्धित को जिलाधिकारी महोदय के स्तर से पत्र जारी कराया जाये। प्रत्येक बुधवार को खण्ड विकास अधिकारी व शुक्रवार को उपजिलाधिकारी व अधिशाषी अधिकारी बैठक मे आते है। आई0जी0आर0एस0 के लम्बित प्रकरणों की सूची उक्त बैठक मे प्रस्तुत की जाये, ताकि प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जा सके।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी शिकायत/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार)

रिट याचिकायें–

माह तक मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित 33 रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। रिट के प्रकरणों में समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करें, रिट में जो समयसीमा तय की गयी

है, उसके अन्तर्गत प्रतिशपथ पत्र आदि दखिल कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिन मामलों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हो चुके हैं, उन्हें महाधिवक्ता की वेब साइट पर अद्यावधिक करा दिया जाये। बार–बार कहने के बावजूद रिट के निस्तारण में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। निर्देशित किया गया कि समस्त रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराकर वेबसाइट पर स्थिति शून्य की जाये। यदि प्रतिशपथ पत्र समय से दाखिल नहीं किये गये तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही– प्र0अधि0रिट / समस्त उप जिलाधिकारी / स0अभि0अधि0तहसीलदार / रिट लिपिक)

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन–

विभाग द्वारा माह मे 81 निरीक्षण किया गया है। विवरण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्थिति सामान्य है। औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि अभियान चलाकर निरीक्षणों में गति लायी जाये तथा प्रभावी ढंग से प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी / अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन)

विभागीय कार्यवाही–

भूलेख अधिष्ठान के अन्तर्गत श्री राम किशोर श्रीवास्तव र0का0, श्री छेदी लाल रा०नि०, श्री राजेश कुमार लेखपाल, श्री पंकज कुमार लेखपाल, श्री सन्तोष साहू लेखपाल, श्री मनीष यादव लेखपाल, श्री दिनेश चन्द्र लेखषाल, श्री रामप्यारे लेखपाल व श्री संदीप बाजपेयी एंव श्रीमती मोनू यादव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित है। लम्बित सभी विभागीय कार्यवाहियों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाये।

(कार्यवाही–अतिरिक्त मजि0, उपजिलाधिकारी सफीपुर, तहसीलदार सदर, सफीपुर व हसनगंज / ना0तह0 बीघापुर)

रोस्टर के अनुसार खतौनियों का दाखिला–

सन् 1416 फ0 से 1421 फ0 तक की खतौनियां दाखिल कर दी गई हैं। खतौनियां दाखिले हेतु अवशेष नहीं है।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार / समस्त तहसीलदार)

पत्रावलियों का दाखिला–

जनपद में निर्णीत कुल पत्रावलियों मे 15137 पत्रावलियां दाखिला हेतु अवशेष है। समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निस्तारण के एक माह के बाद पत्रावलियां प्रत्येक दशा में तत्काल राजस्व अभिलेखागार में दाखिल करा दी जायें तथा जो पत्रावलियां दाखिला हेतु अवशेष है उनको भी तत्काल दाखिल कराया जाये।

(कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी / तहसीलदार / ना0तह0 / डी0डी0सी0 / ब0अधि0चकबन्दी / रा0अभि0रक्षक)

जनसूचना–

जनसूचना के 110 प्रकरण व अपीलों के 55 प्रकरण लंबित है। निर्देशित किया गया कि इन लम्बित प्रकरणों में समय से आवेदको को सूचना देकर लम्बित प्रकरण शून्य किया जाये।

(कार्यवाही– समस्त तहसीलदार / सम्बन्धित पटल सहायक)

एन्टी भू–माफिया

एन्टी भू–माफिया के प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तहसीलों से भू–माफियाओं से सम्बन्धित शिकायतें आती रहती है। समस्त उपजिलाधिकारी भू–माफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी / समस्त उपजिलाधिकारी / सम्बन्धित पटल सहायक)

उपरोक्त के अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 01.04.2021 से मृतक कर्मचारियों (समूह ग एंव घ) के आश्रितों को नौकरी, देयता आदि से सम्बन्धित सूचना सहित प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को उपरोक्तानुसार दिये गये समस्त निर्देशो का अनुपालन गम्भीरता से सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)
उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्या–5117 /रा0सहा0/समीक्षा बैठक कार्यवृत्त दिनांक 14 जून 2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशो का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रेषित करे।

1. अपर जिलाधिकारी, न्यायिक, उन्नाव।
2. उप संचालक चकबन्दी, उन्नाव।
3. नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
4. प्रभारी अधिकारी (सं0का0)/नजारत/राजस्व अभिलेखागार/आंग्ल अभिलेखागार/न्याय अभिलेखागार/रिट/जनसूचना /आयुध।
5. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद उन्नाव।
6. अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय, उन्नाव।
7. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं समस्त ए0सी0ओ0 (द्वारा एस0ओ0सी0)।
8. जिला सूचना अधिकारी,उन्नाव।
9. अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,उन्नाव।
10. सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उन्नाव को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सम्बन्धित पटल सहायकों यथा सी0आर0ए0, एल0आर0सी0, डी0एल0आर0सी0, सामान्य लिपिक, शिकायत लिपिक, नाजिर सदर, जन सूचना लिपिक, रिट लिपिक को दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
उन्नाव।